

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-10032026-270805
SG-DL-E-10032026-270805असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 74]	दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/फाल्गुन 18, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 494
No. 74]	DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/PHALGUNA 18, 1947	[N. C. T. D. No. 494

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIराजस्व विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 9 मार्च, 2026

सं0फा0 डी.एस.एच.सी/009/2018-19/129-139—पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या F-DSHC/009/2018-19/18-28 दिनांक 06-01-2023 एवं F-DSHC/009/2018-19/647-657 दिनांक 18-12-2024 के क्रम में, माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली ने वर्तमान विधानसभा के सदस्य न रहने वाले दो सदस्यों को छोड़कर, दिल्ली राज्य हज समिति के निम्नलिखित सदस्यों के कार्यकाल को "तत्काल प्रभाव से छह माह की अवधि के लिए अथवा नई समिति के पुनर्गठन तक, जो भी पहले हो", बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की है :-

क्रम सं0	नियम और श्रेणी	पद की संख्या	नाम
01	एक संसद सदस्य {नियम 3(2)(ए), नियम 3(2) के द्वितीय परंतुक के साथ पठित}	01	श्री प्रवीण खंडेलवाल, सांसद
02	एक मुस्लिम सदस्य, स्थानिय निकाय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली {नियम 3(2)(सी)}	01	श्रीमती नाज़िया दानिश, वार्ड न0. 189, जाकिरनगर

03	एक मुस्लिम सदस्य, मुस्लिम सिद्धान्त एवं कानून का अनुभव रखने वाला {नियम 3(2)(डी)}	01	श्री मोहम्मद साद, पुत्र श्री मोहम्मद जावेद, मकान नं०. 3122, सर सैयद अहमद रोड, दरियागंज, नई दिल्ली-110002
04	एक मुस्लिम सदस्य, मुस्लिम स्वैच्छिक संगठन से जनप्रशासन, वित्त, शिक्षा, समाज कार्य या संस्कृति के क्षेत्र से {नियम 3(2)(ई)}	01	श्रीमती कौसर जहां, सपुत्री स्व. डा. सैयद सरदार हसन, डी-201, आनंदलोक सोसाईटी, मयूर विहार, फेस-1, नई दिल्ली-110091

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,
जी. सुधाकर, उपायुक्त-V(मुख्यालय)

DEPARTMENT OF REVENUE

NOTIFICATION

Delhi, the 9th March, 2026

No. F. DSHC/009/2018-19/129-139—In continuation of earlier Notification No.F.DSHC/009/2018-19/18-28 dated 06.01.2023 and No.F.DSHC/009/2018-19/647-657 dated 18.12.2024, the Hon'ble Lt. Governor, NCT of Delhi has extended the tenure of the following members of Delhi State Haj Committee excluding the two members who are no longer members of current legislative Assembly for a period of six months or till the re-constitution of the new committee, whichever is earlier with immediate effect:-

Sl. No.	Rule and Category	Number of posts	Name
1	One Member of Parliament { Rule 3(2)(a) read with the second proviso to Rule 3 (2) }	01	Sh. Praveen Khandelwal, MP
2	One Muslim member of the Local Bodies in the NCT of Delhi { Rule 3(2)(c) }	01	Smt. Naziya Danish, Ward No. 189, Zakir Nagar
3	One Muslim member having experience in Muslim theology and Law { Rule 3(2)(d) }	01	Sh. Mohammad Saad, S/o Mohhamad Javed, House No. 3122, Sir Syed Ahmed Road, Darya Ganj, New Delhi-110002.
4	One Muslim member from Muslim Voluntary Organizations in the field of public administration, finance, education, social work or culture { Rule 3(2)(e) }	01	Smt. Kausar Jahan, D/o Late Dr. Syed Sardar Hasan, D-201, Anandlok Society, Mayur Vihar, Phase-I, New Delhi-110091.

By Order and in the Name of Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
G. SUDHAKAR, Dy. Commissioner-V (HQ)